



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62426

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 8250 वर्ष 2026**

तुन्ने उर्फ मोहम्मद कलीम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: नितेश पटेल, उदित चंद्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अशोक कुमार उपाध्याय, जी.ए., मो जाकिर हुसैन, नूरुद्दीन खान, वरुण कीर्ति

**न्यायालय संख्या - 67**

**माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल**

1. हमने आवेदक के अधिवक्ता श्री उदित चंद्र और श्री नितेश पटेल, प्रथम शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री अशोक कुमार उपाध्याय, राज्य के अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा, और अभिलेखों का अवलोकन किया।

*"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



2. यह जमानत याचिका आवेदक को प्रकरण अपराध संख्या 227/2025, धारा 103(1) और 61(2) बीएनएस, पुलिस स्टेशन मुंगराबादशाहपुर, जिला जौनपुर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि किसी ने मृतक की हत्या की है। बाद में, मृतक मोहम्मद जहांगीर आलम के पुत्र गुलाम के दूसरे बयान के आधार पर आवेदक का नाम सामने आया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसके पिता, चाचा और जेल में बंद हिस्ट्री शीटर सोनू के बीच व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण, हिस्ट्री शीटर सोनू के निर्देश पर, वर्तमान आवेदक और सह-आरोपियों ने मृतक की हत्या की। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक की ओर से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। आवेदक को मात्र संदेह और आशंका के आधार पर झूठा फंसाया गया है। आवेदक 27.09.2025 से जेल में है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसने आगे कहा कि पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. और प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन उपर्युक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक

*"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** मामले में दिए गए फैसले के आदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. उपर्युक्त अपराध में अभियोक्ता **तुन्ने उर्फ मोहम्मद कलीम** को, उसके द्वारा व्यक्तिगत बांड और दो जमानती प्रस्तुत करने पर, प्रत्येक समान राशि के, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए प्रेरित करे।
- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, ईमानदारी से मुकदमे/जांच में सहयोग करेगा।
- iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
- iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की पुष्टि संबंधित न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार किए जाने से पहले की जाएगी।

**“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”**



9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसकी पुष्टि संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ की जाएगी कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

10. यह निर्देश दिया जाता है कि अवर न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगी ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के द्वारा भेजे, जो सर्वोच्च न्यायालय के नीतिगत रणनीति संबंधी मामले में **जमानत देने के संबंध में दिए गए आदेश के अनुपालन में हो। यह आदेश स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 के संबंध में दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय और (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित मामले के अनुसार भेजा जाना चाहिए।**

25 मार्च, 2026

सीए/-

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*